न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर
अपील सं0: 93/2011 एल.आर. एक्ट
अनवान
मन्नत वगैरह बनाम जीवां आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयन्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18.7.18	पत्रावली प्रस्तुत हुई। यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के निर्णय दिनांक 7–2–2001 जिसके द्वारा ग्राम पंचायत बेरियांवाली (तहसील खांजूवाला) द्वारा स्वीकृत किये गये विरास्तन नामान्तरकरण 94 दिनांक 20–11–2000 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला को सम्मूखां वारिसान की जांच कर पुनः इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये गये, के विरुध्द प्रस्तुत हुई है । अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के निर्ण्य दिनांक 7.2.2001 के विरुध्द अपीलार्थीगण ने अपील सं0 3/2001 अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर के न्यायालय में पेश की । उक्त अपील दिनांक 2.8.2001 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी । अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु अपीलार्थीगण के अभिभाषक ने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दिनांक 13.8.01 को पेश किया । अति. सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर ने उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को सुनकर आदेश दिनांक 9–1–02 से उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमर में निगरानी सं0 252/2002 एलआर प्रस्तुत की गयी, जो निर्णय दिनांक 4–8–2011 द्वारा स्वीकार की जाकर लम्बित अपील सं0 3/2001 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये गये । माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के उक्त निर्णय दिनांक 4.8.11 की पालना में इस न्यायालय द्वारा पत्रावली पुनः वाजबा नम्बर दर्ज रजिस्टर की जाकर पक्षकारान के निमित नोटिस जारी किये गये एवम् अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । उक्त अपील में अपीलान्ट सं0 1 ता 5 मन्नत बेवा सम्मूखां वगैरह एवम् रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 3 के निमित न्यायालय द्वारा जारी किये गये नोटिस पर विधिवत तामील होने के बावजूद अपीलान्ट्स व रेस्पोन्डेंट की ओर से इस न्यायालय में कोई भी उपस्थित नहीं आने पर पक्षकारों के तत्कालीन अभिभाषकगण जरिये नोटिस तलब किये जाने के आदेश पारित किये गये । पक्षकारान के अभिभाषकगण के निमित जारी किये गये नोटिस पर विधिवत तामील होने के बावजूद अपील में तत्कालीन अभिभाषकगण भी उपस्थित नहीं हुए हैं । अपील में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के निर्णय दिनांक 7–2–2001 द्वारा ग्राम पंचायत बेरियांवाली (तहसील खाजूवाला) द्वारा स्वीकृत किये गये विरास्तन नामान्तरकरण 94 दिनांक 20–11–2000 को निरस्त किया जाकर को मूल खातेदार सम्मूखां के वारिसान की जांच कर विवादित भूमि चक 6केजेडी ''बी'' के मुरब्बा नं0 81/30 के किला नं0 1ता 19 की कुल 19बीघा भूमि के बाबत पुनः इन्तकाल दर्ज करने हेतु प्रकरण तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला रिमाण्ड किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार यह अपील अपीलान्ट्स इसी स्तर पर खारिज की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय एवं तहसीलदार, खाजूवाला को प्रेषित हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । (हनुमान सहाय मीना) सम्भागीय आयुक्त बीकानेर ।	